प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (दांडिक.) संख्या 1556/2010</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>: अरविंद कुमार चतुर्वेदी.

बनाम

<u>उत्तरवादीगण:</u> छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

<u>दिनांक 10 सितम्बर 2010 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूची बद्ध करे ।</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (दांडिक.) संख्या 1556/2010

याचिकाकर्ता : अरविंद कुमार चतुर्वेदी.

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

एकलपीठ : सतीश कुमार अग्निहोत्री न्यायाधीश

उपस्थित: श्री बी.पी.शर्मा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री एन.एन.रॉय, राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 और 4 के लिए शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 2 और 3 के लिए कोई नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(सितंबर, 2010 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 01-05/पीडी-ईके/313(1)/228, दिनांक 05.02.2010 (अनुलग्नक पी/1),जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम, 1988) की धारा 13(1)(ड) और धारा 13(2) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है तथा पुलिस महानिरीक्षक, एंटी को संबोधित शुद्धि पत्र क्रमांक 01-05/पीडी-ईके/313(1)/522 दिनांक

06.03.2010 (अनुलग्नक पी/2) (भ्रष्टाचार ब्यूरो/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) को याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाने की मंजूरी देने की सूचना प्रेषित को चुनौती दिया है।

2.संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता तत्कालीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (संक्षेप में 'मंडल') में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत कर्मचारी था। मंडल के विभाजन के बाद, पाँच नई कंपनियाँ बनाई गईं और याचिकाकर्ता की सेवाएँ उत्तरवादी संख्या 2 अर्थात छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अधीन आ गईं। दिनांक 28.8.2000 को, उत्तरवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के परिसर की तलाशी ली, जिसमें कथित रूप से पाया गया कि याचिकाकर्ता ने 44,09,000/- रुपये की संपत्ति अर्जित की है, जो उसकी आय से अधिक है, और याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1988 की धारा 13(1)(ड) और 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। उत्तरवादी संख्या 4 ने मंडल से याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। हालाँकि, सुसंगत दस्तावेज मंडल के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजे गए और इस संबंध में राय प्राप्त करने के बाद, अभियोजन की अनुमति फिर से अस्वीकार कर दी गई। उत्तरवादी संख्या 2 ने दिनांक 06.03.2009 के पत्र द्वारा पुनःयाचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इससे पहले कई मौकों पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दी गई थी, जो दिनांक 16.12.2005, 20.07.2005, 31.03.2003, 02.01.2004, 31.03.2003 के पत्रों से स्पष्ट है। हालांकि, उत्तरवादी संख्या 4 के कहने पर उत्तरवादी संख्या 2 और 3 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर अवैध रूप से काम किया। आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं

है। श्री शर्मा ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन अभिकरण उत्पीड़न करने वाली अभिकरण नहीं बन सकती है और किसी अन्य अभिकरण को मंजूरी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इसके अलावा, उत्तरवादी संख्या 2 और 3 प्राधिकारी ने, जब एक बार याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया गया था, तो वह अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दे सकता हैI

4.वर्तमान याचिका दिनांक 23.03.2010 को दायर की गई थी और मामले की सुनवाई हेतु दिनांक 09.04.2010 को सूचीबद्ध की गई थी। इसके बाद, मामला दिनांक 16.04.2010 को फिर से सूचीबद्ध किया गया। उत्तरवादी को दिनांक 23.04.2010 को नोटिस जारी किए गए और राज्य/उत्तरवादी संख्या 1 और 4 को जवाबदावा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। इसके बाद,मामले की सुनवाई हेतु दिनांक 19.05.2010, 26.05.2010 और 16.06.2010 को सूचीबद्ध की गई थी। 16.06.2010 को उत्तरवादी संख्या 2 और 3 को नए नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए, साथ ही दस्ती नोटिस की भी अनुमति दी गई। सभी उत्तरवादी को नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन न तो कोई प्रतिनिधित्व किया गया और न ही कोई उपस्थिति दर्ज कराई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, प्रस्तुत तर्को और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

6.एक गंभीर आरोप के आधार पर, कि लोकायुक्त कार्यालय, विशेष पुलिस स्थापना, रायपुर द्वारा दिनांक 28.2.2000 को याचिकाकर्ता के निवास पर की गई तलाशी में 44,09,000/- रुपये से अधिक की संपत्ति का पता चला, जो याचिकाकर्ता की आय से अधिक थी। तदनुसार, अधिनियम,

1988 की धारा 13(1)(ड) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता पर अभियोजन चलाने की अनुमति पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा मांगी गई थी, जिसे पत्र दिनांक 31.3.2003 (याचिका के पृष्ठ 50) द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामला अभियोजन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद, फिर से पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को संबोधित एक पत्र भेजा गया। उत्तरवादी-विद्युत मंडल द्वारा अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी खारिज कर दी गई थी (याचिका का पृष्ठ 49)। फिर से, दिनांक 26.07.2005 को (याचिका का पृष्ठ 47) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने इस आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि दिनांक 31.3.2003 को पहले लिए गए विपरीत रुख के लिए कोई नया दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसके बाद, दिनांक 25.11.2005 को, छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव ने, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सचिव को जे.आर.पटेल, अरविंद चतुर्वेदी, अश्विनी शर्मा, नारद सिंह चंदेल के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं दी गई थी और उन्हें 7 दिनों की अवधि के भीतर अभियोजन चलाने की मंजूरी देने और उसके बाद राज्य आपराधिक जांच ब्यूरो को सूचित करने का निर्देश दिया। दिनांक 25.11.2005 के पत्र के अनुसरण में, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को सूचित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1997 एससी 3400 में प्रतिपादित सिद्धांत को मंडल ने पहले ही उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार कर लिया है और अभियोजन के लिए मंजूरी न देने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"संयुक्त सचिव, उर्जा विभाग के संदर्भित पत्रों के तारतम्य में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया जाना हैः-

(i) प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व स्वीकृति प्रदानकर्ता अधिकारी द्वारा स्वविवेक का समुचित तौर से प्रयोग किये जाने का नियमों में उल्लेख है।

(ii) तत्संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का प्रतिपादित सिद्धांत निम्न है (संदर्भ ए.आई.आर. 1997 माननीय उच्चतम न्यायालय 3400)

> चूँकि "अनुमोदन" की वैधता मामले के तथ्यों और जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री एवं साक्ष्यों के प्रति अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के विवेक की प्रयोज्यता पर निर्भर करती है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन को स्वीकृत किया जाना है या नहीं, इस बारे में वास्तविक संतुष्टि उत्पन्न करने के लिए अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना होगा। अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी पर किसी भी ओर से दबाव नहीं होना चाहिए और न ही किसी बाहरी बल द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का दबाव होना चाहिए। चूँकि अनुमोदन देने या न देने का विवेकाधिकार पूर्णतः अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के पास निहित है, इसलिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि उसका विवेकाधिकार किसी भी बाह्य विचार से प्रभावित नहीं हुआ है। यदि यह दर्शाया जाता है कि अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी किसी भी कारण से अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ था या अनुमोदन देने के लिए बाध्य, विवश या बाध्य था, तो आदेश अमान्य होगा क्योंकि "अनुमोदन न देने" का प्राधिकारी का विवेकाधिकार छीन लिया गया था और उसे अभियोजन को स्वीकृत करने के लिए यंत्रवत् कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) उपरोक्त से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति देने के संबंध में स्वयं निर्णय लिया जाना है और ऐसा निर्णय किसी अधिकारी या उच्च अधिकारी के निर्देश पर नहीं लिया जाना चाहिए।

(iv) युगल पीठ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश (क्रिमिनल लॉ जनरल 1024, ओंकार शर्मा व अन्य विरूद्ध हिमाचल प्रदेश एवं अन्य) के अनुसार "अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध एक बार

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान न किये जाने के निर्णय को उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर परिवर्तित अथवा पुनर्विलोकित नहीं किया जा सकता"।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचारोपरांत संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित पत्रों में उल्लेखित चारों प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने के निर्णय लिये गये है। वर्तमान में उक्त प्रकरणों कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज संबंधित विभाग / उर्जा विभाग द्वारा गंडल को उपलब्ध नहीं कराये गये है। अतः उक्त सभी प्रकरणों में अभियोजन हेतु मंडल / सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

सूचनार्थ प्रेषित "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मंडल के संज्ञान में कोई नया दस्तावेज नहीं लाया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सहित अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी देना उचित नहीं होगा। इसके बाद, पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 22.11.2008 के पत्र द्वारा सचिव, विद्युत मंडल को सूचित किया कि मंजूरी न देने का निर्णय विधि के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, विद्युत मंडल फिर से विचार कर सकता है और अभियोजन के लिए मंजूरी दे सकता है। मामला 24.08.2009 को महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजा गया (याचिका का पृष्ठ 40)। कार्यकारी निदेशक (एच.आर.) यानी उत्तरवादी नंबर 2 ने फिर से पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिनांक 6.3.2009 को सूचित किया (पृष्ठ 35) कि पहले अभियोजन न देने का निर्णय गंभीरता से विचार करने के बाद लिया गया था और चूंकि कोई नया दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए इसकी समीक्षा करने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद, दिनांक 5.2.2010 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई, बिना कोई कारण बताए कि विपरीत रुख क्यों अपनाया गया, क्योंकि आदेश में यह संकेत नहीं है कि मंजूरी देने के लिए अधिकारियों के समक्ष

कुछ नई सामग्री/दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, अस्वीकार कर दिया गया जिसे पहले भी कई मौकों पर। इसके बाद, आक्षेपित आदेश को दिनांक 6.3.2010 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित किया गया, जिसके अनुसार पहले कंडिका की सातवीं पंक्ति में उल्लिखित शब्द "ज्ञात स्रोतों से अधिक आय" और आठवीं पंक्ति से "आय से अधिक" शब्द हटा दिए जाएँ और दूसरे कंडिका की तीसरी पंक्ति में, "आय से अधिक" के स्थान पर "आय से 22,84,147/- रुपये अधिक" पढ़ा जाए। यह इस प्रकार है:

"आदेश क्रमांक 01-05/पीडी-एक/313(1)/227 दिनांक 05.05.2010 की प्रथम कंडिका की सातवीं पंक्ति से शब्दावली "आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक एवं आठवीं पंक्ति से शब्द "अनुपातहीन" विलोपित कर एवं दूसरी कंडिका की तीसरी पंक्ति में "आय से अधिक" के स्थान पर "आय से रूपये 22,84,147/ अधिक" जोड़कर पढ़ा जावे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभियोजन की अनुमति देने के प्रश्न पर विधि सुस्थापित है। मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य मामले में, अनुमति देने पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"19. चूँकि "मंजूरी" की वैधता मामले के तथ्यों तथा अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री और साक्ष्य के प्रति मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के विवेक की प्रयोज्यता पर निर्भर करती है, इसलिए यह आवश्यक रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि अभियोजन को मंजूरी दी जानी है या नहीं, इस बारे में वास्तविक संतुष्टि उत्पन्न करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करना होगा। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी ओर से दबाव नहीं होना चाहिए और न ही किसी बाहरी बल द्वारा उस पर कोई निर्णय लेने का दबाव होना चाहिए। चूँकि मंजूरी देने या न देने का विवेक पूर्णतः मंजूरी देने वाले प्राधिकारी में निहित है, यह दर्शाया जाना चाहिए कि उसका विवेक किसी भी बाह्य विचार से प्रभावित नहीं हुआ है। यदि यह

दर्शाया जाता है कि स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी किसी भी कारण से अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग करने में असमर्थ था या स्वीकृति देने के लिए बाध्य, विवश या दबाव था, तो आदेश इस कारण से अमान्य होगा कि प्राधिकारी का "अनुमोदन न करने" का विवेकाधिकार छीन लिया गया और उसे अभियोजन को स्वीकृति देने के लिए यंत्रवत् कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।"

9. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य[2] के मामले में, तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वैजय बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[3] के मामले में यह अभिनिर्धारित है कि एक बार अभियोजन की मंजूरी अस्वीकृत हो जाने पर, ठोस कारणों और पर्याप्त सामग्री के बिना इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त दोनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत को ओमकार शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में अनुमोदित करने हेतु संदर्भित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:

"33. उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त प्राधिकारी, जिसने समस्त सामग्री पर विचार करने के बाद किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, के पास अब पुनर्विचार करने पर ऐसे आदेश की समीक्षा करने और इस प्रकार उसी सामग्री के आधार पर अभियोजन चलाने की अनुमति देने का अधिकार है। यदि कोई अतिरिक्त/ताजा/नई सामग्री सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाई जाती है तो स्थिति पूरी तरह भिन्न होगी; यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि तीनों मामलों में ऐसी स्थिति नहीं है और न ही इनमें से किसी एक मामले में ऐसी स्थिति है।

उत्तरवादी ने अपने जवाबों में यही बात कही है। इसी प्रकार, अन्वेषण पूरी होने और मंज़ूरी मिलने के बीच का लंबा अंतराल इन तीनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को अनुतोष प्रदान करे का एक अतिरिक्त आधार है।

11. रामानंद चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन की मंजूरी को अनुचित मानते हुए निम्नलिखित विचार व्यय किया:

"5... शासकीय अधिवक्ता ने लगातार यही राय दी कि अपीलार्थी के ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कमिश्नर ने स्वतंत्र विचार-विमर्श के बाद मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में डीआईजी (सतर्कता) के कहने पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम मोहम्मद इकबाल भट्टी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को उन नए तथ्यों पर विचार करना चाहिए जो उस समय उपलब्ध नहीं थे जब पहले अवसरों पर मंजूरी अस्वीकार की गई थी।

13. उपर्युक्त निर्णयों में एक समान बात यह है कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को केवल कुछ नई सामग्रियों के आधार पर स्वीकृति देने से इनकार करने पर पुनर्विचार करने का अधिकार है, जो स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थीं, जिन्होंने पहले स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। अन्वेषण के दौरान उपलब्ध कराई जा सकने वाली नई सामग्रियों के अभाव में उन्हें दोबारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

14. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्वीकृति प्रदान करने वाला दिनांक 05.02.2010 (अनुलग्नक P/1) का आक्षेपित आदेश, अन्य सामग्रियों के आधार पर पारित किया

गया था, जो स्वीकृति अस्वीकार किए जाने के समय प्राधिकारियों के समक्ष उपलब्ध नहीं थीं। यह भी प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश सामग्रियों या विवेक के आधार पर नहीं, बल्कि असंगत विचारों और तथ्यों के आधार पर पारित किया गया था, क्योंकि आदेश में विस्तार से यह नहीं बताया गया है कि नई सामग्रियाँ उपलब्ध थीं।

15. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, दिनांक 05.02.2010 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक P/1) को अभिखंडित किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 6.3.2010 का शुद्धिपत्र भी निरस्त किया जाता है। हालाँकि, उत्तरवादी/प्राधिकारियों को यह स्वतंत्रता सुरक्षित है कि वे, यदि कोई नई सामग्री उपलब्ध हो, तो उसके आधार पर, संबंधित प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने के बाद, यदि ऐसा करने की सलाह दी जाए, अभियोजन की अनुमति देने के मामले पर विचार कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.तदनुसार, रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- Yogita Naik, Advocate